

प्रेस नोट-दिनांक-28.01.24

थाना रौजा पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्तो को दो अदद नाजायज तमन्चा व दो अदद चाकू के साथ 4 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार , श्री सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे अवैध शस्त्र रोकथाम हेतु सघन अभियान के क्रम मे रौजा पुलिस टीम द्वारा जगह-जगह छापेमारी कर सक्रिय अभियुक्त 1.उस्मान पुत्र शकील नि0 ग्रा0 जैनुददीननगर थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 22 वर्ष को पैतापुर रोड से आई0टी0आई0 कालोनी से एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया 2. मसकूर पुत्र मो. सफी निवासी ग्राम बाडी गाँव थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 40 वर्ष को मोहम्मदी रोड ग्राम सल्लिया की तरफ करीब 200 कदम की दूरी मय 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया 3.अवनीश कुमार सिंह पुत्र नारेन्द्रपाल सिंह निवासी मो0 आई0टी0आई0 कालोनी थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष शाहगंज नहर पुलिया से शाहगंज जाने वाली सडक पर 50 कदम दूरी मय 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया 4.चाँद मियाँ पुत्र मसीउल्ला नि0 ग्रा0 बाडी गाँव थाना – रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष को रेलवे ग्राउन्ड के पास मोड पर मय एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त :-

1 उस्मान पुत्र शकील नि० ग्रा० जैनुददीननगर थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 22 वर्ष

2. मसकूर पुत्र मो. सफी निवासी ग्राम बाडी गाँव थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 40 वर्ष

3. अवनीश कुमार सिंह पुत्र नारेन्द्रपाल सिंह निवासी मो० आई०टी०आई० कालोनी थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष

4. चाँद मियाँ पुत्र मसीउल्ला नि० ग्रा० बाडी गाँव थाना – रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष

अपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

उस्मान पुत्र शकील

1. मु०अ०सं० 62/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रौजा शाहजहाँपुर ।

2. मु०अ०सं० 67/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रौजा शाहजहाँपुर ।

मसकूर पुत्र मो. सफी

1. मु०अ०सं० 68/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौजा शाहजहाँपुर ।

अवनीश कुमार सिंह पुत्र नारेन्द्रपाल सिंह

1. मु०अ०सं० 69/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौजा शाहजहाँपुर ।

चाँद मियाँ पुत्र मसीउल्ला

1. मु०अ०सं० 183/2023 धारा 25/ 3 आर्म्स एक्ट व 411भादावि व 153 रेलवे एक्ट

2. मु०अ०सं० 70/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौजा शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण :-

1. दो अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 2 कारतुस 315 बोर ।

2. दो अदद नाजाय चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. व०उ०नि० जुगुलकिशोर पाल

2. उ०नि० प्राँजल सिंह यादव

3. उ०नि० चमन सिंह

4. हे० का० गजराज सिंह

5. हे०का० 98 ओमकार

6. का० 843 राजन कुमार

7. का० 523 राजकुमार

8. का० 2333 रिकू कुमार